जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

सूचना के अधिकार नियम – 2005 के प्रावधानों का क्रियान्वयन

मेन्युअल क्रमांक–1 <u>कार्यालय के कार्य एवं कर्तव्य</u>

1. **<u>गठन</u>** :– जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय का गठन छत्तीसगढ़ शासन, वित्त तथा योजना विभाग के आदेश क्र. 332/ 2001/ यो.आ.सां. दिनांक 20.07.2001 द्वारा पूर्व के जिला सांख्यिकी कार्यालय एवं जिला योजना समिति कार्यालय को समाप्त कर 1 अगस्त 2001 से किया गया है ।

2.1 <u>सांख्यिकी विषयक</u> :– मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में जिला स्तर की सांख्यिकी जानकारी संबंधित विभागों से एकत्रित कर :–

1. जिला सांख्यिकी पुस्तिका का प्रकाशन
2. जिले के प्रमुख आंकड़े
3. जनपद पंचायत के प्रमुख आंकड़े
4. जिला विकास पुस्तिका

तैयार कर 5 प्रतियाँ संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ रायपुर को भेजी जाती है तथा प्रकाशन में उपलब्ध सांख्यिकी जानकारी वांछितों को उपलबध करायी जाती है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त संचालनालय द्वारा वांछित विभिन्न प्रकार की सांख्यिकी जानकारी संबंधित विभागों से एकत्रित कर भेजी जाती है ।

भारत सरकार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण योजनांतर्गत चयनित ग्रामीण एवं नगरीय न्यादर्शो में सर्वेक्षण कार्य निर्धारित सर्वेक्षण अवधि में संपन्न कराया जाता है ।

जन्म–मृत्यु पंजीयन का मासिक/ वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर भेजा जाता है ।

जन्म–मृत्यु घटना के 1 माह के उपरांत किन्तु 1 वर्ष भीतर के पंजीयन हेतु प्रस्तुत प्रकरणों में जन्म–मृत्यु पंजीयन इकाई को घटना के पंजीयन हेतु निर्देशित किया जाता है ।

2.2 <u>योजना विषयक कार्य</u> :– मुख्यालय राज्य योजना मण्डल छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदत्त वार्षिक सीमित आबंटन से योजनाओं की मार्गदर्शिका के अनुकूल कलेक्टर के निर्देशन में निम्न योजनाओं का संचालन किया जाता है :–

1. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना
2. जनसहभागिता योजना

भारत सरकार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त वार्षिक सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि तथा निर्धारित मार्गदार्शिका निर्देशों के तहत सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का संचालन कलेक्टर के निर्देशन में संचालित किया जाता है ।

मेन्युअल क्रमांक–2 – <u>अधिकारियों कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य</u>

अधिकारी का पदनाम	शक्तियां		
	प्रशासकीय	वित्तीय	अन्य
जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी	(1) कार्यालय के कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश एवं 30 दिन का अर्जित अवकाश की स्वीकृति	(1) कर्मचारियों का वेतन यात्रा भत्ता, स्वीकृत जी.पी. एफ., त्यौहार अग्रिम, अनाज अग्रिम, चिकित्सा क्षतिपूर्ति देयकों का आहरण एवं भुगतान/ यात्रा, अनाज, त्यौहार अग्रिम की स्वीकृति	(1) राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण कार्य का निरीक्षण

	(2) कर्मचारियों से आबंटित कार्य कराना एवं समन्वय बनाये रखना (3) उपस्थिति पर नियंत्रण रखना (4) वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लिखना (5) कार्यालय के खण्डस्तर अन्वेषकों को कार्यालयीन कार्य हेतु संलग्न करना (6) 1 माह उपरांत तथा 1 वर्ष के भीतर के जन्म–मृत्यु घटनाओं पंजीयन के प्राप्त प्रकरणों में प्रस्तुत शपथ पत्रों एवं प्रमाण पत्रों के आधार पर पंजीयन के आदेश जारी करना	(2) कार्यालयीन आवश्यकता की स्टेशनरी, डाक टिकिट एवं अन्य कंटिजेंसी व्ययों के देयकों का आहरण एवं भुगतान (3) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना एवं जनसहभागिता योजनांतर्गत कलेक्टर द्वारा स्वीकृत कार्यो हेतु एजेंसियों को देय 10 लाख रू. तक के बिलों को कलेक्टर अनुमति से हस्ताक्षरित कर पृष्ठांकित कराना (4) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनांतर्गत भारत शासन एवं अन्य जिलों से प्राप्त राशि के ड्राफ्ट/ चेक को सांसदवार सांसद निधि के कलेक्टर एवं जिला योजना अधिकारी के संयुक्त बैंक बचत खातों में जमा कराना तथा स्वीकृत कार्यो के चेक आवश्यकतानुसार योजनांतर्गत कलेक्टर द्वारा स्वीकृत कार्यो हेतु संबंधित एजेंसियों को जिला सांख्यिकी अधिकारी एवं कलेक्टर के हस्ताक्षर से जारी करना / एजेंसियों से प्राप्त बचत राशि को पुनः संबंधित सांसद निधि बैंक बचत खाते में जमा कराना तथा वित्तीय लेखा संधारित कराना	(2) जन्म–मृत्यु पंजीयन इकाईयों का यथोचित निरीक्षण (3) जिले के अंतर्गत सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना निधि एवं जनसहभागिता योजना निधि के कार्यो का यथा समय भौतिक निरीक्षण

कार्यालयीन कर्मचारियों के कर्तव्य

अ.क्र.	अधि./ कर्म.का नाम	विषयक कार्य
1	श्री सी.के.दानी, सहा.सां.अधि.	विपणन प्रज्ञान संबंधी जिला स्तरीय त्रैमासिक प्रतिवेदन, बाजार समाचार पत्रिका, कृषि उपज मंडियों का ग पत्रक, साप्ताहिक पत्रिका, अल्प बचत समंक, लेखा एवं प्रशासनिक संबंधी समस्त कार्य, तकनीकी कार्यक्रम, जिला योजना समिति संबंधित कार्य
2	श्री पी.पी.चौधरी, सहा.सां.अधि.	जिला विकास पुस्तिका, जिले के प्रमुख आंकड़े, सांख्यिकी श्रृंखलाओं का संधारण , विभिन्न प्रकार की मछलियों के मासिक फुटकर एवं थोक भाव,
3	श्री सी.के.पशीने, सहा.सां.अधि.	समस्त ग्रामीण एवं नगरीय निकायों के बजट तथा नियोजना एवं परिलाभ, भवन एवं गृह सांख्यिकी, तकनीकी पंजी, चार्ट एवं ग्राफ, मुद्रांक सांख्यिकी, ग्रामीण एवं शहरी बाजारों में पशुधन, कुक्कुट एवं उनके उत्पादों के भाव, स्वास्थ्य सांख्यिकी, प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन गणना, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन
4	श्री आर.के.चन्द्रायन सहा.सां.अधि.	राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण संभाग का समस्त कार्य ।
5	श्री ए.के.शर्मा, सहा.सां.अधि.	जिला सांख्यिकी पुस्तिका, जनपद पंचायतों के प्रमुख आंकड़े, न्याय समंक, भू–राजस्व, औद्योगिक खनन एवं ऊर्जा संचार,

		मुद्रांक से आय, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि एवं विद्युत सांख्यिकी, लाइब्रेरी, आबकारी समंक, वन क्षेत्रफल, प्रमुख एवं गौण वनोत्पादों की मात्रा तथा विक्रय भाव, श्रम सांख्यिकी, पंजीयन लिखितों की संख्या एवं वितरण तथा हस्तांतरित संपत्ति का मूल्य
6	श्री एन.तिर्की, सहा.सां.अधि.	जीवनांक संबंधी समस्त कार्य, नगर निगम दुर्ग का जन्म–मृत्यु पंजीयन आदि का कार्य अपरान्ह में
7	श्री एल.एन.दुबे, खण्डस्तर अन्वेषक	जनपद पंचायत बालोद, डौण्डी एवं डौण्डीलोहारा संबंधित कार्य
8	श्री सी.एम.तिवारी, अन्वेषक रा.न्या.सर्वे.	राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण कार्य
9	श्री के.एल.ठाकुर, अन्वेषक रा.न्या.सर्वे.	राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण कार्य
10	श्री सी.एल.कोशलेय, खण्डस्तर अन्वेषक	जनपद पंचायत पाटन, धमधा, बेरला, साजा, बेमेतरा एवं नवागढ़ संबंधित कार्य एवं जिला योजना कार्यालय के अन्य आबंटित कार्य सह राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण कार्य
11	श्री कोमल सिंह, खण्डस्तर अन्वेषक	जनपद पंचायत गुरूर एवं गुण्डरदेही से संबंधित कार्य सह राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण कार्य
12	श्री जे.ए.खान, खण्डस्तर अन्वेषक	जनपद पंचायत दुर्ग से संबंधित कार्य, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (कांकेर) से संबंधित कार्य, छत्तीसगढ़ स्थानीय विकास योजना, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना
13	श्री आर.आर.यादव, लेखापाल (शिक्षा विभाग से संलग्न)	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना सांसद दुर्ग, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना समस्त राज्यसभा सदस्य, जनसहभागिता योजना, जिला योजना समिति संबंधित कार्य
14	श्री डी.के.मिश्रा, सहा.ग्रेड–2	स्थापना, बजट, वेतन, लेखा एवं समस्त वित्तीय कार्य
15	श्री सी.एस.लोहले, सहा.ग्रेड–3	बी.एस.पी.सेक्टर–8 के जन्म–मृत्यु पंजीयन से संबंधित समस्त कार्य
16	श्री प्रदीप देशमुख, सहा.ग्रेड–3	समस्त आवक/ जावक, स्टोर, समस्त अग्रिम रजिस्टर पूर्ण करना, श्री डी.के.मिश्रा को कार्यालयीन कार्य में सहयोग,

मेन्युअल क्रमांक–3 – <u>निर्णय प्रक्रिया में उपयोग में लाई जानेवाली कार्य प्रणाली इसमें संनियंत्रण एवं जवाबदेही की व्यवस्था</u>

(1) सांख्यिकी जानकारी का संग्रहण, संकलन मुख्यालय आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के निर्देश एवं निर्धारित प्रपत्रों अनुसार किया जाता है । (2) राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण का कार्य मुख्यालय आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा आबंटित सेम्पल क्षेत्रों में निर्धारित निर्देशों अनुसार किया जाता है ।	नियंत्रक संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर (छ.ग.)

(3) 30 दिन उपरांत 1 वर्ष के भीतर जन्म–मृत्यु पंजीयन प्रकरणों के आदेश छत्तीसगढ़ जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम अनुसार किये जाते हैं ।

(4) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का संचालन भारत सरकार, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रसारित मार्गदर्शिका अनुसार किया जाता है ।	नियंत्रक, संचालक, एम.पी. लेड्स, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
(5) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना एवं जनसहभागिता योजना का संचालन छत्तीसगढ़ शासन, वित्त तथा योजना विभाग द्वारा प्रसारित मार्गदर्शिका अनुसार किया जाता है ।	नियंत्रक विशेष सचिव, राज्य योजना मण्डल, मंत्रालय, रायपुर छ.ग.

मेन्युअल क्रमांक–4 <u>कार्य करने का निर्धारित मापदण्ड</u>

सांख्यिकी जानकारी :– सांख्यिकी जानकारी संग्रहण निर्धारित प्रपत्रों में संबंधित विभागों से की जाती है ।

1. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनांतर्गत माननीय सांसद की अनुशंसा पर स्वीकृत किए जाने वाले 25 लाख रूपये की लागत तक का कार्य संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी से अनुशंसित राशि की सीमा में प्राप्त प्राक्कलन राशि के आधार पर कलेक्टर द्वारा स्वीकृत किया जाता है ।
2. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत माननीय क्षेत्रीय विधायक की अनुशंसा पर एवं माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित तथा माननीय जिला प्रभारी मंत्री द्वारा अनुमोदित 10 लाख रूपये लागत तक का कार्य संबंधित एजेंसी द्वारा अनुशंसित राशि की सीमा में प्रस्तुत प्राक्कलन के आधार पर कलेक्टर द्वारा दी जाती है ।

   दोनों योजनाओं के अंतर्गत अनुशंसित एवं स्वीकृत राशि में कुछ कमी–बेशी प्राक्कलन के आधार पर हो सकती है ।
3. जनसहभागिता योजनांतर्गत स्थानीय निकाय द्वारा सामान्य क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य लागत का 50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षित क्षेत्र में 25 प्रतिशत जनसहयोग, नगद दान, सामग्री दान एवं श्रमदान के रूप में जुटाने पर कार्य हेतु क्रमशः शेष 50 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत शासकीय अनुदान के साथ कार्य की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा दी जाती है ।

   सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना हेतु सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, मंत्रालय, नई दिल्ली से सांसदवार निर्धारित आबंटन प्रतिवर्ष लोकसभा सांसद क्षेत्र हेतु सांसद क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी (जिला कलेक्टर) को एवं राज्यसभा सदस्य का आबंटन सदस्य द्वारा चयनित जिला कलेक्टर को भेजा जाता है जिसे राष्ट्रीकृत बैंक बचत खाते में जमा रखा जाता है ।

   विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनांतर्गत प्रतिवर्ष निर्धारित आबंटन राज्य योजना मण्डल छत्तीसगढ़ द्वारा दिया जाता है ।

   जनसहभागिता योजना का भी शासन द्वारा निर्धारित आबंटन प्रतिवर्ष राज्य योजना मण्डल छत्तीसगढ़ द्वारा दिया जाता है ।

मेन्युअल क्रमांक–5 – <u>विभाग द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले नियम/ विनियम अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख</u>

सांख्यिकी विषयक :–

जन्म–मृत्यु पंजीयन विषयक :– 1. जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969

2. छ.ग.राज्य जन्म–मृत्यु पंजीकरण नियम 2001

राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण विषयक :– राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण 62 वां दौर के दिशा निर्देश

योजना विषयक :– 1. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शी निर्देश

2. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका

3. जनसहभागिता योजना की मार्गदर्शिका

मेन्युअल क्रमांक–6 – <u>विभाग के पास उपलब्ध विभिन्न प्रकार के अभिलेखों की सूची</u>

सांख्यिकी संबंधी	1	जनगणना 2001 के आंकड़े
	2	जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2004
	3	जिले के प्रमुख आंकड़े 2004
	4	जनपद पंचायत के प्रमुख आंकड़े 2004
	5	जिला विकास पुस्तिका
	6	वार्षिक जीवनांक सांख्यिकी
कार्यालयीन स्थापना	1	अधिकारी/ कर्मचारी के पदस्थापना, स्थानांतरण, भारमुक्ति आदेश, जी.पी.एफ.पास बुक, कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका,
	2	बिल बुक, चेक पंजी, केश बुक
	3	वेतन देयक, यात्रा भत्ता देयक, चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक, यात्रा अग्रिम, अनाज अग्रिम, त्यौहार अग्रिम देयक, अन्य व्यय देयक
योजना	1	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि की बैंक खातों की पास बुक, चेक बुक, ब्यय की लेखा पंजी, माननीय सांसदों की अनुशंसाओं के पत्र, कार्यो के प्राक्कलन, स्वीकृति आदेश, कार्यो हेतु जारी की गई राशि की पंजी, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र
	2	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र योजना का आबंटन, माननीय विधायकों के अनुशंसा पत्र, कार्यो के प्राक्कलन, स्वीकृति आदेश, देय राशि के पृष्ठांकित देयक, बिल बुक, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र
	3	जनसहभागिता योजना का आबंटन, प्राप्त कार्य प्रस्ताव, जनसहयोग का विवरण, कार्य का प्राक्कलन, स्वीकृति आदेश, स्वीकृत राशि के देयक, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र

मेन्युअल क्रमांक–7 – <u>नीति के कार्यान्वयन के संबंध में जनता का प्रतिनिधि के परामर्श की व्यवस्था</u>

व्यवस्था नहीं है ।

मेन्युअल क्रमांक–8 – <u>काउसिंल, बोर्ड, समिति या अन्य व्यवस्था जिसमें दो से अधिक सदस्य हों उसका उल्लेख</u>

छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम–2001 द्वारा छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 में किये गये संशोधन अनुसार जिला योजना समिति गठन का प्रावधान किया गया है । समिति का स्वरूप निम्नानुसार है :–

अधिकारी	अध्यक्ष/ सदस्य
जिला प्रभारी मंत्री	अध्यक्ष
जिला कलेक्टर	सदस्य सचिव
नामांकित	दो नामांकित सदस्य
जिले के क्षेत्रों के लोकसभा सदस्य	स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य
जिले के राज्यसभा सदस्य	–––––"–––––
जिला पंचायत अध्यक्ष	–––––"–––––
जिले के नगर निगमों के महापौर	–––––"–––––
जिला पंचायत सदस्यों तथा नगरीय निकायों के पार्षदों में से उन्हीं के द्वारा निर्वाचित कुल 16 सदस्य	सदस्य

1. समिति की त्रैमास में बैठक किये जाने का प्रावधान है ।
2. जिला स्तर के विभागों के अधिकारी बैठक में उपस्थित होते हैं । जन सामान्य को अनुमति नहीं है ।
3. समिति द्वारा शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाती है । तथा जिला स्तर के विभिन्न विभागों की विभागीय योजना कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है ।
4. समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण जनसामान्य के लिए उपलब्ध नहीं है ।

मेन्युअल क्रमांक–9 एवं 10 – <u>अधिकारियों/ कर्मचारियों की निर्देशिका, वेतनमान</u>

क्र.सं.	कर्मचारी/ अधिकारी का नाम	पदनाम	वेतनमान	वर्तमान निवास का पता	दूरभाष	
					कार्यालय	निवास
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री एच.एस.ठाकुर	जि.यो.एवं सां.अधि.	8000–13500	दीपक नगर, दुर्ग (छ.ग.)	2323137	–
2	श्री सी.के.दानी	सहा.सां.अधि.	7500–12000	आदर्शनगर, दुर्ग (छ.ग.)	–"–	2320404
3	श्री पी.पी.चौधरी	–"–	7500–12000	दीपक नगर, दुर्ग (छ.ग.)	–"–	9525002174
4	श्री सी.के.पशीने	–"–	7500–12000	पद्मनाभपुर, दुर्ग (छ.ग.)	–"–	2210841
5	श्री आर.के.चन्द्रायन	–"–	6500–10500	पांच बिल्डिंग, दुर्ग (छ.ग.)	–"–	2334419
6	श्री ए.के.शर्मा	–"–	7500–12000	सिन्धिया नगर दुर्ग (छ.ग.)	–"–	2290686
7	श्री एन.तिर्की	–"–	5500–9000	जयन्ती नगर, दुर्ग (छ.ग.)	–"–	9826449093
8	श्री सी.एम.तिवारी	अन्वेषक	4500–7000	पंचशीलनगर, दुर्ग (छ.ग.)	–"–	2311044
9	श्री के.एल.ठाकुर	–"–	4000–6000	कसारीडीह, दुर्ग (छ.ग.)	–"–	–
10	श्री एल.एन.दुबे	खंडस्तर अन्वेषक	4500–7000	एच टाईप ब्लाक क्वा. बालोद	–"–	07749–222341
11	श्री सी.एल.कोशलेय	–"–	4500–7000	विराटनगर, बोरसी, दुर्ग	–"–	2344382

12	श्री कोमल सिंह	–"–	4000–6000	एच टाईप ब्लाक क्वा. गुरूर	–"–	–
13	श्री जे.ए.खान	–"–	4000–6000	कसारीडीह, दुर्ग (छ.ग.)	–"–	–
14	श्री डी.के.मिश्रा	सहा.ग्रे–2	4000–6000	ब्राम्हण पारा, दुर्ग (छ.ग.)	–"–	–
15	श्री सी.एस.लोहले	–"–	3050–4590	सुभाष नगर, दुर्ग (छ.ग.)	–"–	–
16	श्री पी.के.देशमुख	–"–	3050–4590	न्यू आदर्शनगर, दुर्ग (छ.ग.)	–"–	2331673
17	श्री शिवकुमार साहू	वाहन चालक	3050–4590	सुभाषनगर, दुर्ग	–"–	–
18	श्री बी.आर.यादव	कंप्यूटर ऑपरेटर (संविदा)	5000/– p.m.	सुभाषनगर, दुर्ग	–"–	–
19	श्री ईश्वरी प्रसाद	भृत्य	2550–3200	परमालकसा, राजनांदगांव	–"–	–
20	श्री कन्सूराम	–"–	2550–3200	अन्नूलाल ठाकुर, पुलिस लाईन, दुर्ग	–"–	–
21	श्री कार्तिक राम	अंशकालीन फर्राश	1086/– p.m.	चर्च रोड स्टेडियम के सामने, दुर्ग	–"–	–
22	श्री संतोष कुमार	अंशकालीन वाटरमेन	1086/– p.m.	ग्रा.जंजगिरी, पो.अंडा, जि.दुर्ग	–"–	–

मेन्युअल क्रमांक–11 – योजनावार बजट, प्रस्तावित व्यय एवं किया गया व्यय **वर्ष 2005.06**

क्र.सं.	योजना का नाम	प्राप्त बजट	वितरण	अभियुक्ति
1.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना		प्रस्तावित कार्य, लागत, एजेंसी के आधार पर प्राक्कलन प्राप्त कर कार्य की स्वीकृति एवं राशि वितरित की जाती है ।	माननीय सांसदों की अनुशंसा पर निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाते हैं ।
2.	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना		प्रस्तावित कार्य, लागत, एजेंसी के आधार पर प्राक्कलन प्राप्त कर कार्य की स्वीकृति एवं राशि वितरित की जाती है ।	माननीय क्षेत्रीय विधायकों की अनुशंसा पर तथा माननीय जिला प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाते हैं ।
3.	जनसहभागिता योजना		स्थानीय निकायों द्वारा कार्य का प्रस्ताव, लागत, जनसहयोग की व्यवस्था, प्राक्कलन के साथ आवेदन करने पर कार्य की स्वीकृति दी जाती है ।	स्थानीय निकायों के सामान्य क्षेत्र में 50 प्रतिशत जनसहयोग एवं अधिसूचित क्षेत्र में 25 प्रतिशत जनसहयोग करने पर निर्माण कार्य स्वीकृत किये जाते हैं ।

मेन्युअल क्रमांक–12 :– <u>अनुदान कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया एवं हितग्राहियों की सूची</u>

कार्यालय के अंतर्गत हितग्राही मूलक योजनाएं संचालित नहीं है ।

मेन्युअल क्रमांक–13 :– <u>ऐसे लोगों की सूची जिन्हें रियायतों, परमिटों तथा प्राधिकारों की अनुमति दी गई है</u> ।

कार्यालय के अंतर्गत इस प्रकार के कार्यक्रम संचालित नहीं है ।

मेन्युअल क्रमांक––14 :– <u>इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी का विवरण</u>

निरंक

1. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
2. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना
3. छत्तीसगढ़ स्थानीय विकास योजना
4. जनसहभागिता योजना
5. उपलब्ध सांख्यिकी प्रकाशन की जानकारी
6. जनगणना 2001 की जानकारी

आवेदन में मांग के अनुसार उपलब्धता के आधार पवर दी जा सकेगी ।

मेन्युअल क्रमांक–15 :– <u>सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण</u>

स्वतः उपस्थित होकर उपलब्ध जानकारी के लिए आवेदन दे सकते हैं ।

मेन्युअल क्रमांक–16 :– <u>जनसूचना अधिकारी का पदनाम व अन्य विवरण</u>

1. जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी,
जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय
कलेक्ट्रेट परिसर, दुर्ग (छ.ग.)
2. सहायक सांख्यिकी अधिकारी
जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय
कलेक्ट्रेट परिसर, दुर्ग (छ.ग.)